प्रेस विज्ञप्ति
22.03.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद ने के. सुधीर बाबू और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत डाक विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी -के. सुधीर बाबू और उनके सहयोगियों वड्डी नरसिम्हा रेड्डी, टी. नितिन और एम. सुदर्शन से संबंधित 6.57 लाख रुपये की चल संपत्ति कुर्क की है।

ईडी ने कंडुला सुधीर बाबू (के. सुधीर बाबू) और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण (पीसी) अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो, हैदराबाद द्वारा पंजीकृत चार प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की,जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि विमुद्रीकरण के बाद के दिनों में, के.सुधीर बाबू, वरिष्ठ डाकघर के अधीक्षक, डाक विभाग, हैदराबाद सिटी डिवीजन ने अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ अनधिकृत तरीके से 3.75 करोड़ रुपये के विमुद्रीकृत मुद्रा रुपयों का अदला-बदली किया था, जो कि आम जनता के संवितरण के लिए थे ।

ईडी जांच से पता चला कि के. सुधीर बाबू ने अपनी आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और अपने सहयोगियों की मिलीभगत से, हैदराबाद में अपने अधिकार क्षेत्र के तहत विभिन्न डाकघरों से उनके द्वारा लिए गए नए मुद्रा नोटों के साथ पुराने मुद्रा नोटों का आदान-प्रदान किया, जिसके परिणामस्वरूप अपराध के आगम की उत्पत्ति हुई और कमीशन के रूप में 87.19 लाख रुपये के मौद्रिक लाभ प्राप्त किए गए। अपराध की उक्त आगम को छिपाने के लिए, उसने इसे अपने रिश्तेदारों को दिया ।

87.19 लाख रुपये के अपराध के आगम से ईडी द्वारा के.सुधीर बाबू (5.64 लाख रुपये), एम.सुदर्शन (29,000 रुपये) और वड्डी नरसिम्हा रेड्डी (64,000 रुपये) के बैंक खातों से दिनांक 20.03.2024 के अनंतिम कुर्की आदेश के तहत कुर्क की गई है।

****